



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273311  
CG-DL-E-10062026-273311

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2822]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2822]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

**का.आ. 2916(अ).**— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-135बीडी सिरमौर - कलवारी खंड के (कि.मी. 0+000 से कि.मी. 35+920) के पुनर्वास/उन्नयन/2 लेन चौड़ीकरण और पक्के शोल्डर के लिए भूमि के खंड में, एतद्वारा ऐसी भूमि अर्जित करने का अपना इरादा घोषित करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वाुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनगवां, जिला रीवा को लिखित रूप में दी जाएगी तथा उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर देगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी द्वारा, तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में एनएच-135बीडी सिरमौर - कलवारी खंड के (कि.मी. 25+760 से कि.मी. 28+000) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: रीवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मनगवां					
गांव का नाम: बाँस					
1	206	निजी	कृषि	0.0088 (हेक्टेयर)	0.0088
2	207	निजी	कृषि	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
<b>Total</b>					<b>0.0179</b>

[फा. सं. CE-ROBPL/30010/103/25-26/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

**S.O. 2916(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for the rehabilitation /upgradation/widening to 2 laning with paved shoulders of NH-135BD Stretch Sirmour - Kalwari Section (Chainage km 0+000 to km 35+920) in the State of Madhya Pradesh., hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Sub Divisional Magistrate (Revenue), Mangawan, Rewa District, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of rehabilitation/ upgradation/widening to 2 laning with paved shoulders of NH-135BD Stretch Sirmour - Kalwari Section (Chainage km 25+760 to km 28+000) in the State of Madhya Pradesh.

State: MADHYA PRADESH			District: REWA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Mangawan</b>					
<b>Village: Bans</b>					
1	206	Private	Agriculture	0.0088 (Hectare )	0.0088
2	207	Private	Agriculture	0.0091 (Hectare )	0.0091
<b>Total</b>					<b>0.0179</b>

[F. No. CE-ROBPL/30010/103/25-26/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director